रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 484] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 12, 1977/कार्तिक 21, 1899

No. 484] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 12, 1977/KARTIKA 21, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November 1977

S O 765(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1 (1) These rules may called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and twenty-third Amendment) Rules, 1977.

(2) They shall come into force at once

2 In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 (hereinafter referred to as the said rules), in the First Schedule, for entry 1C, the following entry shall be substituted, namely.—

"1C Ministry of Commerce (Vanijya Mantralaya) ",

3 In the Second Schedule to the said rules,—

(a) under the heading "MINISTRY OF COMMERCE (VANIJYA MANTRALAYA)",—

(i) in entry 11, after item (e), the following item shall be inserted, namely:—

"(f) textiles, woollens, handlooms, readymade garments, silk and cellulosic fibres, jute and jute products, and handicrafts.";

(ii) in entry 15, after item (v), the following item shall be inserted, namely —

'(vi) Handicrafts and Handlooms Export Corporation.",

(iii) the sub-heading "DEPARTMENT OF TEXTILES (VASTR VIBHAG)" and the entries thereunder shall be omitted;

(b) under the heading "MINISTRY OF INDUSTRY (UDYOG MANTRALAYA)", under the sub-heading A, "DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (AUDYOGIK VIKAS VIBHAG)", after entry 6, the following entries shall be inserted, namely.—

"6A Production distribution (for domestic consumption) and development of all textiles and woollens, including handlooms and readymade garments, and industries relating to the production of silk and cellulosic fibres but excluding non-cellulosic synthetic fibres (nylon, polyester, acrylic, etc), jute, jute products, and handicrafts,

6B Textile Commissioner.

6C Jute Commissioner

6D Jute Corporation of India Limited

6E. Cotton Corporation of India Limited

6F All India Handicrafts Board.

6G. All India Handloom Board.

6H The National Textile Corporation Limited.

6I Sericulture

6J. Central Silk Board

6K Handloom Development Commissioner"

N. SANJIVA REDDY,
PRESIDENT.

[No. 74/2/1/77-CF]

B. ROY, Jt. Secy

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1977

का० आ० 765(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात :—

1 (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) (एक सौ तेइसवां संशोधन) नियम, 1977 है ।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, प्रथम अनुसूची में, प्रविष्टि 1ग के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् —

"1ग. वाणिज्य मंत्रालय ।";

3. उक्त नियमों की दूसरी अनुसूची में,—

(क) शीर्षक "वाणिज्य मंत्रालय" के नीचे,—

(i) मद (ङ) के पश्चात्, प्रविष्टि 11 में निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(च) वस्त्र, ऊनी वस्त्र, हैंडलूम, सिले-सिलाए वस्त्र, रेशम और सेलुलोसिक तन्तु, जूट और जूट उत्पाद, और हस्तशिल्प ।",

(ii) मद (v) के पश्चात्, प्रविष्टि 15 में निम्नलिखित मद अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

" (vi) हस्तशिल्प और हैंडलूम निर्यात निगम ।";

(iii) उप शीर्षक "वस्त्र विभाग" और उसके नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा,

(ख) शीर्षक "उद्योग मंत्रालय" के नीचे उप शीर्षक "क. औद्योगिक विकास विभाग" के नीचे प्रविष्टि 6 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"6क. सभी वस्त्रों और ऊनी वस्त्रों, जिन में हैंडलूम और सिले-सिलाए वस्त्र शामिल है, का उत्पादन, वितरण (देश में उपभोग) और विकास, तथा रेशम और सेलुलोसिक तन्तुओं, जिसमें गैर-सेलुलोसिक सश्लिष्ट तन्तु (नायलान, पोलियेस्टर, एक्रिलिक आदि) नहीं है, जूट, जूट उत्पाद, और हस्तशिल्प, के उत्पादन से सबद्ध उद्योग ,

6ख. वस्त्र आयुक्त ।

6ग पटसन आयुक्त ।

6घ जूट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ।

6ङ. काटन कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ।

6च. अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड ।

6छ. अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड ।

6 ज. राष्ट्रीय वस्त्र निगम लि० ।

6झ. रेशम कीट पालन ।

6ञ. केन्द्रीय रेशम बोर्ड ।

6ट. हस्तशिल्प विकास बोर्ड ।"

नीलम संजीव रेड्डी,
राष्ट्रपति ।

[सं० 74/2/1/77—सी० एफ०]

बादल राय, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977